न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–166/2023.
(शिवहर थाना कांड संख्या–34/2023)
CNR No. BRSO01-004510-2023

सरकार बनाम् शाहिद मियां व अन्य

FORM-A

In the Court of Principal Sessions Judge, Sheohar, Bihar **Present:- Sri Deepak Kumar, Principal Sessions Judge, Sheohar,** (Date of Judgment:-08-05-2026) S.Tr. No-166/2023, **CIS No.** BRSO01-004510-2023 Sheohar P.S. Case No. 34/2023, G.R.No.-412/2023. **Offence:-** U/s- 307/34, 323/34, 341/34, 504/34 of IPC. District-SHEOHAR.	
COMPLAINANT/INFORMANT	जहॉगीर मियां, पिता–अजीमुद्दीन मियां, ग्राम–हनुमान नगर, थाना+जिला–शिवहर।
ACCUSED	01. शाहिद मियां, पिता–मो0 फुल मियां, उम्र–24 वर्ष, 02. समीर मियां, पिता–मो0 फुल मियां, उम्र–21 वर्ष, 03. जफरे आलम मियां, पिता–मो0 फुल मियां,, उम्र–28 वर्ष, सभी निवासी ग्राम–हनुमान नगर, थाना–फतेहपुर जिला–शिवहर।
REPRESENTED BY COMPLAINANT/ INFORMANT	श्री सुरेश राय, विद्वान लोक अभियोजक।
REPRESENTED BY ACCUSED PERSON	श्री मुन्ना कुमार तिवारी, विद्वान अधिवक्ता।

FORM-B

Date of Offence	13-02-2023
Date of F. I. R.	15-02-2023
Date of Charge sheet	C.S.- 88/2023 Dated- 30-04-2023
Date of Cognizance	19-08-2023/20-09-2023
Date of Framing Charges	04-12-2023
Date of Commencement of Evidence	30-01-2024
Date of which judgment is reserved	10-04-2026
Date of judgment	08-05-2026
Date of the Sentencing order, if any	N.A.

Accused Details

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offence Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of Detention during Trial

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।

सत्रवाद संख्या–166 / 2023.

(शिवहर थाना कांड संख्या–34 / 2023)

CNR No. BRSO01-004510-2023

सरकार बनाम् शाहिद मियां व अन्य

							for purpose of section 428 of Cr.P.C.
01.	शाहिद मियां,	21-02-2023	06-04-2023	Under Section- 307/34, 323/34, 341/34, 504/34 of Indian Penal Code			
02.	समीर मियां,	-	-				
03.	जफरे आलम मियां,	21-02-2023	06-04-2023				

FORM-C

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESS

A. Prosecution :

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
01.	शरीफ मियां	अ0सा0सं0–01– (पक्षद्रोही साक्षी)
02.	मो0 फरमान मियां	अ0सा0सं0–02– (पक्षद्रोही साक्षी)
03.	शनीफ मियां	अ0सा0सं0–03– (पक्षद्रोही साक्षी)
04.	अजीमुद्दीन मियां	अ0सा0सं0–04– (पक्षद्रोही साक्षी)
05.	मो0 जहॉगीर मियां	अ0सा0सं0–05– (सूचक)
06.	डा0 संजय कुमार	अ0सा0सं0–06– (चिकित्सक साक्षी)
07.	मो0 अलीम मियां	अ0सा0सं0–07– (पक्षद्रोही साक्षी)
08.	सैफुन खातुन	अ0सा0सं0–08– (पक्षद्रोही साक्षी)
09.	उपेन्द्र कुमार	अ0सा0सं0–09– (अनुसंधानक)

B. Defence Witness, if any ; -

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)

C. Court Witness, if any ;-NIL

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–166/2023.
(शिवहर थाना कांड संख्या–34/2023)
CNR No. BRSO01-004510-2023

सरकार बनाम् शाहिद मियां व अन्य

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURTS EXHIBITS
A. PROSECUTION;-

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
01.	प्रदर्श–1.	टंकित आवेदन पर मो0 जहॉगीर मियां का हस्ताक्षर,
02.	प्रदर्श–1/1.	टंकित आवेदन पर तत्कालीन थानाध्यक्ष का पृष्ठाकंन एवं हस्ताक्षर,
03.	प्रदर्श–2.	जहॉगीर मियां का जख्म प्रतिवेदन दिनांक–14.02.2023,
04.	प्रदर्श–3.	अजीमुद्दीन का जख्म प्रतिवेदन दिनांक–14.02.2023,
05.	प्रदर्श–4.	जहॉगीर मियां का चिकित्सकीय पुर्जा,
06.	प्रदर्श–5.	अजीमुद्दीन का चिकित्सकीय पुर्जा,
07.	प्रदर्श–6.	कम्प्युटराईज औपचारिक प्राथमिकी,
08.	प्रदर्श–7.	आरोप–पत्र (सम्पूर्ण)

B. DEFENCE ;

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
-	-	-

C. COURT EXHIBITS ; NIL

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
-	-	-

D. MATERIAL OBJECTS ;

SR. NO.	MATERIAL OBJECT NUMBER	DESCRIPTION
-	-	-

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–166/2023.
(शिवहर थाना कांड संख्या–34/2023)
CNR No. BRSO01-004510-2023

सरकार बनाम् शाहिद मियां व अन्य

उपस्थित: दीपक कुमार
प्रधान सत्र न्यायाधीश,
शिवहर
शिवहर, दिनांक 8 वीं मई, 2026

सत्रवाद संख्या – 166/2023
(शिवहर थाना कांड संख्या–)
CNR No. -BRSO010013422017
सरकार
बनाम्
शाहिद मियां व अन्य

बिहार सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक – श्री सुरेश राय
विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता – श्री मुन्ना कुमार तिवारी

निर्णय

01. प्रस्तुत सत्रवाद में कुल तीन अभियुक्तों–01. शाहिद मियां, 02. समीर मियां एवं 03. जफरे आलम मियां का विचारण भा0द0वि0 की धारा–307/34, 323/34, 341/34, 504/34 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों हेतु किया गया है।

02. अभियोजन का मामला प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है, जिसमें सूचक ने शिवहर थाना पर दिये गये अपने टंकित आवेदन में लिखा है कि–मैं मो0 जहॉगीर मियां, पिता–अजीमुद्दीन मियां, उम्र–39 वर्ष, ग्राम–हनुमान नगर, थाना+जिला–श्झिवहर का स्थायी निवासी हूँ। दिनांक–13.02.2023 को 08:00 बजे रात्रि में मैं मथुरापुर बाजार से अपने कपड़ा दुकान से लौट रहा था। ज्योंहि अपने

ग्राम–हनुमान नगर नईमुद्दीन मियां के घर के सामने पहॅुचा कि पूर्व से 01. जफरे आलम मियां, उम्र–23 वर्ष, पिता–मोहम्मद फुल मियां, 02. शाहिद मियां, उम्र–20 वर्ष, पिता–मोहम्मद फुल मियां, 03. समीर मियां, उम्र–18 वर्ष, पिता–मोहम्मद फुल मियां, सभी सा0–हनुमान नगर, थाना+जिला–शिवहर घात लगाकर बैठा था। तीनों मुझे घेर लिया तथा मुझे पकड़कर जान मारने के नियत से चाकू से हमला बोल दिया तथा ताबड़तोड चाकू चलाने लगा। चाकू मेरे माथा पर लगा और कट गया, काफी खून बहने लगा, मैं घायल हो गया, फिर भी बांस से मेरे सिर पर मारा। उपरोक्त तीनों व्यक्ति मेरे साथ चाकू एवं बांस से ताबड़तोड़ मारा, मेरे माथा, ऑख पर काफी चोट लगा। मेरे पिता अजीमुद्दीन मियां मुझे बचाने आये तो जफरे आलम अपने हाथ में लिए बांस से मारा, जिससे मेरे पिता के कंधा पर चोट लगा, जिससे कंधा काम नहीं कर रहा है। मेरी मॉ सैफुन खातुन बचाने आई तो उसे भी उपरोक्त तीनों व्यक्ति मार–पीट किया। हल्ला हुआ तो लोग आये, तो वो लोग यह धमकी देते हुए भागे की अभी तो तुम बच गये हो दुबारा फिर से आकर मारेंगे, जो बच गया है उसे भी मारकर मरहम पट्टी करवायेंगे। मारपीट के क्रम में 04. फुल मियां, पिता–सदीक मियां फोन से तीनों को कह रहा था कि साले को जान से मार दो, जिन्दा नहीं बचने दो। भागने के क्रम में मेरे दुकान में बिक्री एवं माल लाने के लिए मेरे जेब में रखा बीस हजार रुपया और मेरे हाथ के अंगुली से एक सोने का अंगुठी लेकर भाग गये। उपरोक्त सभी व्यक्ति आगामी पंचायत चुनावी रंजीश एवं बच्चे के विवाद को लेकर मेरे साथ यह घटना कारित किया है। इस घटना से हम सभी परिवार काफी भयभीत हैं। हम ईलाज कराने में व्यस्त रहने के कारण आज दिनांक 15.02.2023 को थाना पर आकर आवेदन दे रहा हॅू। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया है।

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–166 / 2023.
(शिवहर थाना कांड संख्या–34 / 2023)
CNR No. BRSO01-004510-2023

सरकार बनाम् शाहिद मियां व अन्य

03. उपरोक्त आवेदन के आधार पर शिवहर थाना कांड संख्या–34 / 2023, दिनांक–15.02.2023, अंतर्गत धारा–341, 323, 324, 307, 379 / 34 भा0द0वि0 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के पश्चात् अनुसंधानकर्ता ने प्राथमिकी में नामित चारों अभियुक्तों में से एक अभियुक्त–फुल मियां की घटना में संलिप्तता नहीं पाते हुए शेष अन्य तीनों अभियुक्तों–01. शाहिद मियां, 02. समीर मियां एवं 03. जफरे आलम मियां के विरूद्व लगे आरोप को सत्य पाते हुए, उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के विरूद्व आरोप–पत्र संख्या–88 / 2023, दिनांक–30.03.2019, अंतर्गत धारा–341, 323, 307, 504 / 34 भा0द0वि0 में न्यायालय के समक्ष समर्पित किया। विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शिवहर के द्वारा प्राथमिकी, आरोप–पत्र एवं कांड दैनिकी के अवलोकन के पश्चात् दिनांक–19.08. 2023 / 20.09.2023 को प्राथमिकी के नामित एवं आरोपपत्रित उपरोक्त तीनों अभियुक्तों–01. शाहिद मियां, 02. समीर मियां एवं 03. जफरे आलम मियां के विरूद्व अंतर्गत धारा–341, 323, 307, 504 / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला के अंतर्गत अपराध का संज्ञान ग्रहण कर वाद दिनांक–22.11.2023 को अभिलेख को सत्र न्यायालय को दौरा सुपूर्द किये जाने का आदेश दिया, जो अभिलेख दिनांक–29. 11.2023 को विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को हस्तगत कराया गया, जिसके उपरांत विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर के द्वारा दिनांक–04. 12.2023 को प्रस्तुत वाद के नामित तीनों अभियुक्तों–01. शाहिद मियां, 02. समीर मियां एवं 03. जफरे आलम मियां के विरूद्व अंतर्गत धारा–307, 323, 341, 504 / 34 भा0द0वि0 में आरोप का गठन किया गया।

04. प्रस्तुत मामलें में उपरोक्त तीनों अभियुक्तों–01. शाहिद मियां, 02. समीर मियां एवं 03. जफरे आलम मियां के विरूद्व दिनांक–04.12.2023 को अंतर्गत धारा–307 / 34, 323 / 34, 341 / 34, 504 / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप का गठन कर उन्हें हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे इंकार करते हुए तीनों अभियुक्तों ने विचारण का दावा किया।

05. उपरोक्त तीनों अभियुक्तों–01. शाहिद मियां, 02. समीर मियां एवं 03. जफरे आलम मियां के विरूद्व का अंतर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दिनांक–10.02.2026 को बयान अभिलिखित किया गया। बयान में उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के द्वारा घटना से इंकार किया गया तथा अपने–अपने को निर्दोष बताया।

06. न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के विरूद्व लगाए गए सभी आरोपों को सुसंगत साक्ष्य द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है या नहीं ?

मंतव्य

07. अभियोजन की ओर से अपने मामले के समर्थन में आरोप–पत्र के कॉलम–13. में वर्णित कुल नौ साक्षियों में से सभी नौ साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या–01. शरीफ मियां (पक्षद्रोही साक्षी), 02. अ0सा0सं0–02. मो0 फरमान मियां (पक्षद्रोही साक्षी), 03. अ0सा0सं0–03. शनीफ मियां (पक्षद्रोही साक्षी), 04. अ0सा0सं0–04. अजीमुद्वीन मियां (पक्षद्रोही साक्षी), 05. अ0सा0सं0–05. मो0 जहॉगीर मियां (सूचक), 06. अ0सा0सं0–06. डा0 संजय कुमार (चिकित्सक साक्षी), 07. अ0सा0सं0–07. मो0 अलीम मियां (पक्षद्रोही साक्षी), 08. अ0सा0सं0–08. सैफुन खातुन (पक्षद्रोही साक्षी), एवं 09. अ0सा0सं0–09. उपेन्द्र कुमार (अनुसंधानक) हैं।

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–166/2023.
(शिवहर थाना कांड संख्या–34/2023)
CNR No. BRSO01-004510-2023

सरकार बनाम् शाहिद मियां व अन्य

08. दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श अंकित कराये गये हैं, जो निम्नवत हैः–

A. PROSECUTION;-

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
01.	प्रदर्श–1.	टंकित आवेदन पर मो0 जहॉगीर मियां का हस्ताक्षर,
02.	प्रदर्श–1/1.	टंकित आवेदन पर तत्कालीन थानाध्यक्ष का पृष्ठाकंन एवं हस्ताक्षर,
03.	प्रदर्श–2.	जहॉगीर मियां का जख्म प्रतिवेदन दिनांक–14.02.2023,
04.	प्रदर्श–3.	अजीमुद्वीन का जख्म प्रतिवेदन दिनांक–14.02.2023,
05.	प्रदर्श–4.	जहॉगीर मियां का चिकित्सकीय पूर्जा,
06.	प्रदर्श–5.	अजीमुद्वीन का चिकित्सकीय पूर्जा,
07.	प्रदर्श–6.	कम्प्युटराईज औपचारिक प्राथमिकी,
08.	प्रदर्श–7.	आरोप–पत्र (सम्पूर्ण)

बचाव पक्ष की ओर से कोई भी प्रदर्श अंकित नहीं कराये गये हैं।

09. प्रस्तुत वाद में अभियोजन पक्ष कुल नौ साक्षियों में से तीन साक्षियों–अ0सा0सं0–05. मो0 जहॉगीर मियां (सूचक,) अ0सा0सं0–06. डा0 संजय कुमार (चिकित्सक साक्षी) एवं अ0सा0सं0–09. उपेन्द्र कुमार (अनुसंधानक) को छोड़कर शेष अन्य छः साक्षियों–अ0सा0सं0–01. शरीफ मियां (पक्षद्रोही साक्षी), अ0सा0सं0–02. मो0 फरमान मियां (पक्षद्रोही साक्षी), अ0सा0सं0–03. शनीफ मियां (पक्षद्रोही साक्षी), अ0सा0सं0–04. अजीमुद्वीन मियां (पक्षद्रोही साक्षी), अ0सा0सं0–07.

<u>न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।</u>
<u>सत्रवाद संख्या–166/2023.</u>
(शिवहर थाना कांड संख्या–34/2023)
CNR No. BRSO01-004510-2023

सरकार बनाम् शाहिद मियां व अन्य

मो0 अलीम मियां (पक्षद्रोही साक्षी) एवं अ0सा0सं0–08. सैफुन खातुन (पक्षद्रोही साक्षी) को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है एवं इन सभी छः पक्षद्रोही साक्षियों ने मुख्य रूप से अपने–अपने साक्ष्यों में एक समान बात–"घटना के बारे में नहीं जानते हैं। दरोगाजी मेरा बयान नहीं लिए थे", की बात कहा है। अतएव इन सभी पक्षद्रोही साक्षियों की विस्तृत विवेचना का न्यायिक दृष्टिकोण से कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

10. **अ0सा0सं0–05. मो0 जहाँगीर मियां (सूचक) हैं, ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–**मैं इस केस का सूचक हूँ। दिनांक–23.02.2023, समय आठ बजे रात की घटना है। मैं मथुरा बाजार अपने कपड़ा सिलाई की दुकान से घर आ रहा था। जब मैं नईमुद्दीन मियां के दरवाजे के पास पहुँचे तो जफरे आलम, शाहिद मियां, मो0 फुल मियां का छोटा लड़का, जिसका नाम आज याद नहीं तथा न्यायालय में खड़ा है, ने मुझसे लड़ाई–झगड़ा किया और मेरे सर पर मारा। अंधेरे में मैं नहीं देख पाया कि किस चीज से मारा। घटना के संबंध में एक आवेदन थानाध्यक्ष, शिवहर को टाईप कराकर तथा उस आवेदन पर मैं अपना हस्ताक्षर बनाकर दिया था। उक्त पर साक्षी अपने हस्ताक्षर को पहचानते हैं, जिसे अभियोजन की ओर से प्रदर्श–1. अंकित किया जाता है। मुदालहगण को पहचानता हूँ। मेरा ईलाज पहले सदर अस्पताल, शिवहर में हुआ तथा बाद में मैं प्राईवेट में करवाया।

बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–रात अंधेरी थी। कौन किस चीज से मारा, मैं नहीं देखा। दरोगाजी मेरा बयान नहीं लिए थे। दोनों पक्षों में जमीनी विवाद है। मुदालहगण से राजी–खुशी से मुकदमा सुलह हो गया है तथा राजी–खुशी से दोनों पक्ष संधि पत्र पर हस्ताक्षर किये

हैं। रुपया वगैरह गायब हुआ था, वह बाद में मिल गया। मुदालहगण मेरे ग्रामीण हैं, इसलिए पहचानते हैं।

इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से यह तो परिलक्षित होता है कि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई–झगड़ा हुआ, लेकिन किसने सिर पर मारा और कौन किस चीज से मारा, यह स्पष्ट परिलक्षित नहीं होता है। साथ ही साक्षी ने दोनों पक्षों के बीच राजी–खुशी से सुलह होने की भी बात भी कहा है।

11. अ0सा0सं0–06. डा0 संजय कुमार (चिकित्सक साक्षी) ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–1. On 14-02-2023 I was posted as a Medical Officer at Saroja Sitaram Sadah Hospital, Sheohar and on that day at about 12:45 AM, I examined Md. Jahangir Miya, aged about 39 years, Male, S/o Md. Azimuddin Miya, R/o Village-Hanuman Nagar, PS & District-Sheohar and found following injuries on his person.

i. Lacerated wound on frontal region of head measuring about 7cm x 3cm x 3cm caused by hard and blunt substance such as bamboo.

Nature of injury-Simple.

Age of injury-Within six

Mark of identification-A mole on the right palm.

2. The injury report of Md. Jahangir Miya dated 14.02.2023 is typed/prepared on my direction on the computer set

maintained at Sadar Hospital, Sheohar and subsequent there to the print out of the report was obtained there from by the printer kept at the hospital and the same is bearing my signature which I identify. The injury report of Md. Jahangir Miya dated-1402-2021 is marked exhibit-2. from the side of prosecution.

3. On same day at about 12:50 AM, I examined Md. Azimuddin, aged about 56 years, Male, S/o Md. Late Abdul Razak, R/o Village-Hanuman Nagar, PS & District-Sheohar and found following injuries on his person.

i. Pain & swelling on left shoulder measuring about 2cm x 1cm caused by hard and blunt substance such as bamboo.

Nature of injury-Simple.

Age of injury-Within six

Mark of identification-A mole on the neck.

4. The injury report of Md. Azimuddin dated-14.02.2023 is typed/ prepared on my direction on the computer set maintained at Sadar Hospital, Sheohar and subsequent thereto the print out of the report was obtained therefrom by the printer kept at the hospital and the same is bearing my signature which I identify. The injury report of Md. Azimuddin dated-14-02-2021 is marked as exhibit-3. From the side of prosecution.

5. On 14.02.2023, I examined and treated of Md. Jahangir Miya, Aged about-39 years, Male, S/o Md. Azimuddin Miya, R/o Village-Hanuman Nagar, PS & District-Sheohar and on same day I examined and treated of Md. Azimuddin, aged about 56 years, Male, S/o Md. Late Abdul Razak, R/o Village-Hanuman Nagar, PS & District-Sheohar.

6. The prescription of Md. Jahangir Miya & Md. Azimuddin Miya is in my handwriting and bears my signature which I identify. The prescription of Md. Jahangir Miya & Md. Azimuddin Miya dated 14-02-2023 is hereby respectively marked exhibit-4 & 5 from the side of prosecution.

Cross examination by Defence

7. The PS case number of the case concerned is not mentioned on the injury report.

8. I examined Jahangir Miya at 12:45 AM in the night. It took me only five minutes in examining the said patient.

9. The injury of the nature observed by me on the person of Jahangir Miya may be caused on the fall of the person on hard surface.

10. I examined Md. Azimuddin at 12:50 AM in the night. It took me only five minutes in examining the said patient.

11. The injury of the nature observed by me on the person of Md. Azimuddin may be caused on the fall of the person on hard surface.

12. It is not true that the injury report furnished by me is incomplete.

इस प्रकार इस चिकित्सक साक्षी ने भी प्रस्तुत वाद के दोनों जख्मियों के जख्म को साधारण प्रकृति का पाया है।

12. **अ0सा0सं0–09. उपेन्द्र कुमार, जो प्रस्तुत वाद के अनुसंधानक हैं, ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि**–दिनांक–15.02.2023 को मैं शिवहर थाना में पु0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित था। शिवहर थाना कांड संख्या–34/2023 का कम्प्यूटराईजड औपचारिक प्राथमिकी तत्कालीन थानाध्यक्ष पु0नि0 सामर्थ कुमार के द्वारा तैयार किया गया, जिस पर उनका हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूँ, जिसे प्रदर्श–6. अंकित किया जाता है। वादी द्वारा दिये गये टंकित आवेदन पर पृष्ठाकंन तत्कालीन थानाध्यक्ष के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे मैं पहचानता हूँ, जिसे प्रदर्श–1/1 अंकित किया जाता है। दिनांक–15.02.2023 को उक्त कांड का अनुसंधान भार ग्रहण किया तथा अनुसंधान प्रारम्भ किया। वादी के आवेदन को कांड दैनिकी में अंकित किया। वादी मो0 जहॉगीर मियां का पुनःबयान लिया। साक्षी अजीमुद्दीन, सैफुन खातुन का बयान लिया एवं कांड दैनिकी में दर्ज किया। इस कांड का घटनास्थल शिवहर थाना अंतर्गत ग्राम–हनुमान नगर स्थित नईमुद्दीन मियां का पक्का का एक मंजिला घर के सामने मथुरापुर बाजार से बवाली चौक की ओर जाने वाली सड़क पर है। सड़क पर ही वादी जहॉगीर मियां एवं इनके परिवार के साथ मारपीट कर जख्मी करने की बात बतलाई जाती है। घटनास्थल की

चौहद्दी निम्न हैः–उत्तर–ग्राम शाहपुर होते हुए बवाली चौक की ओर जाने वाली सड़क, दक्षिण–मथुरापुरा बाजार की ओर जाने वाली सड़क, पूरब–मो0 नईमुद्दीन मियां, पिता जहुर मियां का पक्का का एक मंजिला घर, पश्चिम–अब्दुल सलाम का मकई लगा खेत है। साक्षी फरमान मियां, सनीफ मियां का बयान लिया एवं कांड दैनिकी में अंकित किया। जफरे आलम, शाहिद मियां को गिरफ्तार कर विधिवत मेमों तैयार किया गया तथा गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों का सफाई बयान लिया एवं माननीय न्यायालय में अग्रसारण किया। न्यायालय में उपस्थित कराया, जिसे आदेशानुसार मंडल कारा, शिवहर भेजा गया। जख्मी जहॉगीर मियां, अजीमुद्दीन मियां का जख्म जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर कांड दैनिकी में अंकित किया। पुलिस निरीक्षक, शिवहर अंचल का पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त किया। साक्षी शरीफ मियां एवं अलीम मियां का बयान लिया। जख्मी जहॉगीर मियां का पूरक जख्म जॉच रिपोर्ट प्राप्त किया एवं कांड दैनिकी में अंकित किया। इस कांड में पुलिस निरीक्षक, शिवहर अंचल का अंतिम आदेश प्राप्त हुआ। अब तक के अनुसंधान घटनास्थल का निरीक्षण, वादी एवं गवाहों का बयान, जख्म जॉच प्रतिवेदन एवं पर्यवेक्षण से यह कांड भा0द0वि0 की धारा–341, 323, 324, 307, 504 / 34 के अंतर्गत प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त–जफरे आलम मियां, शाहिद मियां, समीर मियां के विरूद्व आरोप पत्र संख्या–86 / 2023, दिनांक–30.04.2023 समर्पित किया गया। उक्त कांड का आरोप पत्र मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिस पर तत्कालीन थानाध्यक्ष सामर्थ कुमार का हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूॅं। सम्पूर्ण आरोप–पत्र को प्रदर्श–7. अंकित किया जाता है।

मुदालहगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–घटनास्थल पर जब मैं पहुॅचा तो गवाह लोग बयान देने मेरे समथ आये।

गवाह घटनास्थल पर स्वयं आये थे। घटनास्थल पर मेरे पहुॅचने की जानकारी साक्षियों को दी कि नहीं, यह मुझे जानकारी नहीं है। अनुसंधान के दौरान घटनास्थल पर तीन–चार बार गये थे। घटनास्थल की चौहद्दी मैंने अपने मुख्य परीक्षण में बतलाया है। घटनास्थल से किसी भी तरह का आपत्तिजनक वस्तु की बरामदगी नहीं हुई थी। घटनास्थल से किसी चौहद्दीकार को मैंने साक्षी बनाया था कि नहीं, मुझे याद नहीं है। घटनास्थल पर अनुसंधान के लिए मेरे साथ कितने पुलिस बल गये थे और नाम क्या था, यह मुझे याद नहीं है। साक्षियों का बयान घ टनास्थल पर लिया था। ऐसी बात नहीं है कि जैसा मैंने अनुसंधान के बारे में न्यायालय में बताया है वह गलत है, मैंने गलत घटना के आधार पर बयान दिया है, जैसा मैंने बताया है वैसी कोई घटना नहीं घटी है।

इस प्रकार इस अनुसंधानक साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में घटना का अनुसंधान करने, औपचारिक प्राथमिकी पर तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा किये गये हस्ताक्षर की पहचान कर उसे प्रदर्श–6, पृष्ठाकंन को प्रदर्श–1/1 अंकित कराने, घटनास्थल की चौहद्दी बताने, साक्षियों का बयान लेने, वादी का बयान लेने, जख्मियों–जहॉगीर मियां का जख्म प्रतिवेदन एवं पूरक जख्म प्रतिवेदन एवं अजीमुद्दीन मियां का जख्म प्रतिवेदन प्राप्त कर कांड दैनिकी में अंकित करने, पुलिस निरीक्षक, शिवहर अंचल का अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त करने, आरोप पत्र समर्पित करने और सम्पूर्ण आरोप पत्र पर अपने हस्ताक्षर की पहचान कर उसे प्रदर्श–7. करने की बात मुख्य रूप से कहा है, जबकि प्रतिपरीक्षण में घटनास्थल से किसी भी तरह के कोई आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं होने की बात कहा है। इस प्रकार इस अनुसंधानक साक्षी के साक्ष्य से ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं होता है,

जिससे विचारण अभियुक्तों की घटना कारित करने में या उसमें संलिप्तता पर प्रकाश पड़ता हो।

13. प्रस्तुत वाद में बहस के दौरान बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन के द्वारा न्यायालय में परीक्षित कराये गये कुल नौ साक्षियों में से तीन साक्षियों, जिसमें सूचक, जो अ0सा0सं0–05. है के अलावे दो अन्य साक्षियों अ0सा0सं0–06. डा0 संजय कुमार एवं अ0सा0सं0–09. उपेन्द्र कुमार, अनुसंधानक को छोड़कर शेष अन्य सभी छः साक्षियों को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है एवं इन छः साक्षियों ने घटना का कोई समर्थन नहीं किया है। उभय पक्षों के बीच प्रस्तुत वाद में राजी–खुशी से संधि हो गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के विरूद्व लगाये गये आरोपों को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए उन्हें प्रस्तुत वाद से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन है।

14. दूसरी तरफ अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक के कथन किया गया कि चिकित्सकीय प्रतिवेदन में आये निष्कर्ष से प्रस्तुत वाद के मुदालहगण की घटना में संलिप्तता एवं घटना कारित किये जाने का तथ्य सम्पुष्ट होता है।

15. उभय पक्षों के बहस सुनने, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों, साक्ष्यों एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल नौ साक्षियों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है, जिसमें तीन साक्षियों– अ0सा0सं0–05. मो0 जहॉगीर मियां, जो प्रस्तुत वाद के सूचक हैं, के अलावे दो अन्य साक्षियों अ0सा0सं0–06. डा0 संजय कुमार एवं अ0सा0सं0–09. उपेन्द्र कुमार, अनुसंधानक को छोड़कर शेष अन्य छः साक्षियों, यथा–अ0सा0सं0–01. शरीफ मियां (पक्षद्रोही साक्षी), अ0सा0सं0–02. मो0

फरमान मियां (पक्षद्रोही साक्षी), अ0सा0सं0–03. शनीफ मियां (पक्षद्रोही साक्षी), अ0सा0सं0–04. अजीमुद्दीन मियां (पक्षद्रोही साक्षी), अ0सा0सं0–07. मो0 अलीम मियां (पक्षद्रोही साक्षी) एवं अ0सा0सं0–08. सैफुन खातुन (पक्षद्रोही साक्षी) को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है एवं इन सभी छः साक्षियों ने मुख्य रूप से अपने–अपने साक्ष्यों में एक समान बात–"घटना के बारे में नहीं जानते हैं। दरोगाजी मेरा बयान नहीं लिए थे", की बात कहा है। अतएव इन सभी छः पक्षद्रोही साक्षियों के साक्ष्य की विस्तृत विवेचना का न्यायिक दृष्टिकोण से कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अ0सा0सं0–01. मो0 जहॉगीर मियां, जो प्रस्तुत वाद के सूचक है, ने अपने साक्ष्य में मुख्य रूप से दोनों पक्षों के बीच लड़ाई–झगड़ा होने, लेकिन किसने सिर पर मारा और कौन किस चीज से मारा, स्पष्ट रूप से नहीं कहा है।

अ0सा0सं0–09. उपेन्द्र कुमार, जो प्रस्तुत वाद के अनुसंधानक हैं ने अपने साक्ष्य में मुख्य रूप से औपचारिक प्राथमिकी पर तत्कालीन थानाध्यक्ष के द्वारा किये गये हस्ताक्षर की पहचान कर उसे क्रमशः प्रदर्श–6 एवं प्रदर्श–1/1 कराया है और प्रतिपरीक्षण में घटनास्थल से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु की बरामदगी नहीं होने की बात कहा है।

16. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, विवेचित तथ्यों, वाद की प्रकृति, पत्रावली पर उपलब्ध साक्षियों के साक्ष्य के परिशीलन/अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि प्रस्तुत वाद के तीनों विचारण अभियुक्तों–01. शाहिद मियां, 02. समीर मियां एवं 03. जफरे आलम मियां के द्वारा घटना कारित किये जाने के संबंध में कोई स्पष्ट रूप से तथ्य सामने नहीं आया है और इन तीनों अभियुक्तों के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–166/2023.
(शिवहर थाना कांड संख्या–34/2023)
CNR No. BRSO01-004510-2023

सरकार बनाम् शाहिद मियां व अन्य

विरूद्व लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त सभी संदेहो से परे साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त होने के योग्य हैं। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है–

आदेश

17. अतः उपरोक्त नामित तीनों अभियुक्तों–01. शाहिद मियां, 02. समीर मियां एवं 03. जफरे आलम मियां को न्यायालय के द्वारा धारा–307/34, 323/34, 341/34, 504/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत पर्याप्त अभियोजन साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है एवं उन्हें तथा उनके जमानतदारों को उनके बंध–पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लेखापित, संशोधित वो हस्ताक्षरित होने के बाद
आज दिनांक 08.05.2026. को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित एवं शुद्विकृत
ह0/–
(दीपक कुमार)
प्रधान सत्र न्यायाधीश,
शिवहर।
दिनांक–08.05.2026.

ह0/–
(दीपक कुमार)
प्रधान सत्र न्यायाधीश,
शिवहर।
दिनांक–08.05.2026.

Date of Judgment	08.05.2026
Date of Reserving Judgment	10.04.2026
Uploading Date	08.05.2026
Uploaded By	Sanjeev Kumar, (Steno)